समाचार–प्रकाशनार्थ :–

शहर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर कार्यवाही निरंतर जारी

जिला, निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त मुहिम के तहत

शहर सीमा के धोलावाड़ रोड से नियम विपरित निर्माण हटाये

रतलाम 13 नवम्बर । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में आज धोलावाड़ रोड पर विकसित हो रही अवैध कालोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाये गये यह मुहिम आगे भी सतत जारी रहेगी।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी तथा नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण तोड़ेने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जायेगी जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालो को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने हेतु शीघ्र नोटिस जारी किया जा रहा है। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

जिला, निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार को धोलावाड़ रोड पर सर्वे क्रमांक 773/3, 775/4, 776/1 व 776/2 रकबा 1.125 हैक्टर भूमि पर भूमि पर सुनील–बंशीलाल गांधी, राजेश–बाबुलाल कटकानी, पंकज–समीरमल व अरूणा पति विजेन्द्र पितलिया द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण करते द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट सड़क 200 बाय 8 मीटर व कॉलोनी की बाउण्ड्रीवॉल 350 मीटर का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक, पटवारी व कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी आदि की उपस्थिति में 2 पोकलेन, 1 जेसीबी व डम्पर टेक्ट्रर की सहायता से नियम विपरित निर्माण सोमेन्ट कांक्रीट सड़क, बाउण्ड्रीवाल को हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिग कराई जाकर पंचनामा भी बनाया गया है।

अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी।

सी.एम. हेल्प लाईन की शिकायतों का निराकरण 15 नवम्बर तक करायें

निगम के 27 अधिकारी, कर्मचारियों को सूचना–पत्र जारी

शिकायत निराकरण नहीं करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 13 नवम्बर । सी.एम. हेल्पलाईन में नगर निगम से संबंधित दर्ज शिकायतों का निराकरण 15 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से कराये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के 27 अधिकारी, कर्मचारियों को सूचना पत्र जारी किये अन्यथा की दशा में स्थायी कर्मचारियों की एक–एक वेतनवृद्धि रोकी जायेगी व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन में ग्रेडिंग से संबंधित, 100 दिवस से अधिक समय से लंबित, 300 दिवस से अधिक समय से लंबित, पूर्व से लंबित, प्रधानमंत्री आवास योजना व अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का निराकरण 15 नवम्बर तक किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख, श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, प्रभारी सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री अरविन्द दशोत्तर, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, मनीष तिवारी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश

कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी सर्वश्री ए.पी. सिंह, पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान , उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, सहायक वर्ग–2 सर्वश्री रामचन्द्र शर्मा, अब्दुल मुजीब खान, सहायक वर्ग–3 राजेन्द्रसिंह गेहलोत, सहायक राजस्व निरीक्षक श्रो सुनील कपूर, श्री हरीश मिश्रा, सहायक राजस्व उप निरीक्षक श्री अंजनीप्रसाद मिश्रा, फायरमैन देवेन्द्र पुरोहित, स्थायीकर्मी श्री कुलदीप भट्ट, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री मोहित हितिया को सूचना–पत्र जारी किया।

स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए नागरिक

स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए

रतलाम 13 नवम्बर । स्वच्छता बेहद आसान और हमारे स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए अति आवश्यक आदत हैं. यह किसी के दवाब या लालच देने से नहीं किया जा सकता बल्कि हमें अपनी आदत के रूप में अपनाने की जरूरत हैं. एक स्वस्थ देश के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के आचरण व नियमों की पालना करनी चाहिए. यह सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी हैं. अपने शरीर, आस पास और कार्यस्थल की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए.

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरुकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वही कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हे कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छता कोई काम नहीं है, जो पैसे कमाने के लिये किया जाए बल्कि, ये एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिये अपनाना चाहिये। ... ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रुप से स्वस्थ रखता है। सभी के साथ मिलकर उठाया गया कदम एक बड़े कदम के रुप में परिवर्तित हो सकता है।

श्री झारिया ने कहां कि हमें खुद भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा हमारे घर परिवार में छोटे बच्चों को भी साफ–सफाई के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि एक बालक बचपन से ही चलना, बोलना, खाना–खाना, दौडना आदि अपने माता–पिता से सीखता है अगर उसी उम्र में उसे साफ–सफाई का भी ज्ञान हो जाए तो स्वच्छता उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। जिससे घातक बीमारियों। से बचाव हो सकता है।

उन्होने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग–अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर–1 बना पाएगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह,किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

2 सिटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं को सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 13 नवम्बर । ''डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (व्यक्तिगत एवं समूह ऋण) की अल्प प्रगति के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एनयूएलएम विभाग के दो सिटी मैनेजर व पांच सामुदायिक संगठिकाओं का माह नवम्बर 2021 का वेतन रोका जाकर संविदा अनुबंध समाप्त कर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

''डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (व्यक्तिगत एवं समूह ऋण) की अल्प प्रगति के कारण सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री भगवानसिंह राजपूत, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

सहायक राजस्व निरीक्षक सुनील कपूर का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 13 नवम्बर । नगर निगम राजस्व विभाग के सहायक राजस्व निरीक्षक सुनील कपूर द्वारा 12 नवम्बर शुक्रवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अतिक्रमण दल के तीन कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 13 नवम्बर । अतिक्रमण दल के कर्मचारी पंकज पवांर, राकेश उपाध्याय स्थायीकर्मी व यश सेन भृत्य द्वारा 13 नवम्बर शनिवार को अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर निलंबन व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्ड 33 के वार्ड प्रभारी राजेन्द्र फतरोड़ का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 13 नवम्बर । वार्ड क्रमांक 33 शास्त्री नगर राजपूत बोर्डिंग क्षेत्र के नागरिकों द्वारा व्हाट्स एप पर गंदगी की शिकायत करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड प्रभारी राजेन्द्र फतरोड़ का कार्य में लापरवाही बरतने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

कचरा संग्रहण वाहन हैल्पर जितेन्द्र-प्रहलाद को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताआ सूचना पत्र जारी

रतलाम 13 नवम्बर । वार्ड क्रमांक 5 के कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर जितेन्द्र प्रहलाद द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

13 नवम्बर को 78 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 13 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 13 नवम्बर शनिवार को 78 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

13 नवम्बर शनिवार को डम्पर से 35445, ट्रेक्टर से 7845, काम्पेक्टर सूखा कचरा 13545 व काम्पेक्टर गीला कचरा 22080 किलो इस तरह कुल 78915 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

4276 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

वार्डवार केन्द्रों व घर–घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 13 नवम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर–घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 13 नवम्बर शनिवार तक 4276 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय–पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब काड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 सांई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड

रतलाम 13 नवम्बर । आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारेां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

2105 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 13 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प स सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2025 हितग्राहियों को राशि रूपय 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 80 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 40 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 13 नवम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाय जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 13 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 13 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाय जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा

संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायं। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वाडा में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 13.11.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.